भंवरलाल व अन्य

बनाम

राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड व अन्य

(सिविल अपील सँख्या 7902/2013)

सितम्बर 9, 2013

(के.एस.राधाकृष्णन व ए.के.सिकरी, न्यायाधिपतिगण)

राजस्थान वक्फ अधिनियम 1995 :

धारा 85 सपठित धारा 5,6 7- सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्जन- अधिकरण का क्षेत्राधिकार-समझाया गया-निर्धारित, यह मामला विक्रय विलेख के रद्दकरण, किराये और कब्जे के साथ-साथ खातों के प्रस्तुतिकरण और ट्रस्टियों को हटाने के लिये है- कब्जे और किराये के वाद के साथ विक्रय-विलेख के रद्दकरण का वाद सिविल न्यायालय में चलाया जाना-हालाँकि मुकदमा ट्रस्टियों को हटाने तथा खाते के प्रस्तुतिकरण का है जो अधिकरण के क्षेत्राधिकार में आयेगा-चूंकि मुकदमा सिविल न्यायालय में अधिनियम लागू होने से बहुत पहले दायर किया गया था, सिविल

न्यायालय जहाँ मुकदमा दायर किया गया था उसमें जारी रहेगा और वही उस मुद्दे का अधिकार क्षेत्र तय करने में सक्षम होगा-क्षेत्राधिकार।

विवादग्रस्त सम्पत्ति याचिकाकर्ता के कब्जे में रही है और प्रत्यर्थी सँख्या 1 राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड और प्रत्यर्थी सँख्या 2 मुस्लिम बोर्ड कमेटी ने इसे वक्फ सम्पत्ति बताते हुए सिविल वाद कब्जे और खातों के प्रकटीकरण और याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्पादित विक्रय-विलेख दिनाँक 28.02.1983 को अवैध घोषित करने की घोषणा के लिये वाद दायर किया। याचिकाकर्ताआें ने मुकदमा लडा और सभी पक्षकरों ने अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की, जब मामला अन्तिम सुनवाई के लिये तैयार हुआ तो दिनाँक 02.12.2000 को प्रत्यर्थी सँख्या 1 व 2 ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 85 राजस्थान वक्फ अधिनियम 1995 के तहत यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित है और न्यायालय के द्वारा मुकदमे की सुनवाई नहीं की जा सकती और प्रार्थना की गयी कि वादपत्र को अधिनियम के तहत गठित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु लौटाया जावे। प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया गया। इसके विरूद्ध याचिकाकर्ता ने निगरानी याचिका प्रस्तुत की जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय सैयद इनामुल हक शहा के मामले का सन्दर्भ देते हुए खारिज की गयी ।

इस न्यायालय के द्वारा अपील की अनुमति दी गई।

अभिनिर्धारित : 1.1. राजस्थान वक्त अधिनियम 1995 की धारा 7(1) के अनुसार प्रश्न यह है कि क्या कोई विशेष सम्पत्ति जो वक्फ की सूची में वक्फ सम्पत्ति के रूप में विनिर्दिष्ट है वक्फ सम्पत्ति है या नहीं, इसका निर्धारण अधिकरण द्वारा किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम माना जाता है और धारा 85 में निहित विशिष्ट वर्जन के मद्देनजर एसे प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार सिविल न्यायालय का है । किसी मुकदमे की विषय-वस्तु जो अधिकरण के समक्ष दायर की जा सकती है, धारा 5 में प्रकाशित वक्फ की सूची से सम्बन्धित है । यदि उक्त सूची के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है अर्थात् उक्त सूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति है या नहीं या यह सिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ है तो इन प्रश्नों के निर्णय के लिये मुकदमा दायर किया जा सकता है। हालाँकि धारा 7 की उपधारा 5 के अनुसार यदि कोई मुकदमा या कोई कार्यवाही का विषय धारा 6 की उपधारा 1 के अन्तर्गत आता है, जो अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व ही किसी सिविल न्यायालय में लम्बित है तब ऐसी कार्यवाही सिविल न्यायालय के सामने जारी रहेगी और अधिकरण के पास क्षेत्राधिकार नहीं होगा । (पैरा 11 और 15) (730-F-H, 733-E-F)

1.2. अधिनियम की धारा 7 व 85 को संयुक्त रूप से पढने पर कानूनी स्थिति को निम्न अनुसार संक्षेपित किया गया है :

(i) धारा 7 की उपधारा 1 में लिखित प्रश्नों और विवाद्यकों के सम्बन्ध में, अधिकरण में विशेष क्षेत्राधिकार निहित है, जिसके पास ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार है ।

(ii) उस पर अधिकरण का निर्णय अन्तिम माना जाता है ।

(iii) किसी भी विवाद/प्रश्न या कोई वक्फ से सम्बन्धित मामले में, वक्फ सम्पत्ति या अन्य मामले जिसके लिये यह आवश्यक है कि वह अधिकरण द्वारा निर्धारित किये जाये, सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित है ।

(iv) हालाँकि धारा 7(5) के तहत एक अपवाद भी बनाया गया है अर्थात् वे मामले जो पहले से सिविल न्यायालय में लम्बित है, भले ही विषय-वस्तु धारा 6(1) के तहत शामिल होती हो, उस पर सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार बना रहेगा और अधिकरण को ऐसे मामलों को निर्धारित करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा । (पैरा 12) (731-A-E)

सरदार खान व अन्य बनाम सैयद नजमुल हसन (सेठ)व अन्य 2007(3) SCR 436=2007 (4) SCALE 81=2007 (10) SCC 727, रमेश गोविन्दराम (मृत) के कायममुकाम व अन्य बनाम सुगरा हुमायू मिर्जा वक्फ 2010(10) SCR 945 = 2010 (8) SCC 726 और पश्चिम बंगाल

वक्फ बोर्ड व अन्य बनाम अनसीस फातमका बेगम व अन्य 2010(13) SCR 1063 = (2010)14 SCC 588-भरोसा ।

सैयद इनामुल हक शाह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य AIR 2001 राजस्थान 19-खारिज कर दिया गया।

1.3. मौजूदा मामले में, यह वाद विक्रय-विलेख के रद्दकरण, किराये और कब्जे और खातों के प्रस्तुतिकरण और ट्रस्टियों को हटाने के लिये है। तथापि, वाद में अभिवचन न्यायालय के समक्ष नहीं लिये गये और इसलिए दावा की गयी राहत की सटीक प्रकृति भी वादी के वाद या जवाबदावे में दिये गये कथन से ज्ञात नहीं है । दावे में माँगे गये कुछ अनुतोष अधिकरण के निश्चायक क्षेत्राधिकार में आते हैं, जबकि अन्य अनुतोष के किये सिविल न्यायालय सक्षम है, फिर भी विधिक स्थिति को रमेश गोविन्दराम के अवलोकन से स्पष्ट किया जायेगा । कब्जे व किराये के लिये वाद सिविल न्यायालय में विचारण योग्य है लेकिन ट्रस्टियों को हटाने और खातों के प्रस्तुतिकरण का वाद अधिकरण के कार्यक्षेत्र का है और जहाँ तक विक्रय-विलेख के रद्दकरण के अनुतोष से सम्बन्धित है तो यह सिविल न्यायालय के द्वारा ही विचारण योग्य है कारण कि यह अधिनियम की धारा 6 व 7 के अन्तर्गत नहीं आता है । इसके अलावा कब्जे का अनुतोष जो कि सिविल न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है यह इस प्रश्न पर निर्भर

करता है कि विक्रय-विलेख वैध है अथवा नहीं । इस प्रकार विक्रय-विलेख और कब्जे का विवाद एक-दूसरे के साथ अविभाज्य रूप से मिश्रित है । वाद 1980 में दायर किया गया था यानि अधिनियम के प्रभाव में आने से बहुत पहले, सरदार खान द्वारा बताये गये उपदेश के अनुसार चलते हुए, सिविल न्यायालय जहाँ वाद दायर किया गया था को क्षेत्राधिकार निरन्तर उक्त विवाद्यक पर होगा और वह इसे निर्णीत करने में सक्षम होगा।

1.4. उच्च न्यायालय का उक्त निर्णय खारिज कर दिया गया है । प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र भी खारिज किया गया है ।

न्यायिक दृष्टान्त उद्धरण :

एआईआर 2001 राजस्थान रद्द किया गया पैरा 6

2010(13) एससीआर 1063 भरोसा किया गया पैरा 7

2007(3) एससीआर 436 भरोसा किया गया पैरा 16

2010(10) एससीआर 945 भरोसा किया गया पैरा 17

सिविल अपीलेट ज्यूरिडिक्शन : सिविल अपील नम्बर 7902/2013 राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिवीजन सँख्या 419/2013 में पारित निर्णय व आदेश दिनाँक 21.04.2006

बी.डी.शर्मा, एन.व्यास, एस.सी.वर्मा, मुक्ति डी., वेद पी. आर्य अपीलाण्ट की ओर से।

एस.वसीम ए.कादरी, जैद अली, तमीम कादरी, लक्ष्मी रमन सिंह प्रत्यर्थी की और से।

भंवरलाल व अन्य बनाम राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड व अन्य

यह निर्णय न्यायाधिपति ए.के.सिकरी द्वारा दिया गया

1. अनुमति दी गई।

2. वर्तमान अपील में जिस प्रश्न के निर्धारण की आवश्यकता है वह यह है कि क्या दीवानी न्यायालय के पास प्रत्यर्थी के द्वारा दायर मुकदमे को विचारण करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है । यहाँ मुकदमे की विषय-वस्तु राजस्थन वक्फ अधिनियम 1995 (जिसे आगे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जायेगा) के तहत गठित अधिकरण के विशेष क्षेत्राधिकार के भीतर है । अधिनियम की धारा 85 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यद्यपि यह वाद प्रत्यर्थी द्वारा दीवानी न्यायालय में दायर किया गया था लेकिन प्रत्यर्थी के आवेदन पर ही कहा गया था कि अधिनियम की धारा 85 में निहित वर्जन के तहत वाद चलने योग्य नहीं है और दीवानी न्यायालय ने प्रत्यर्थी के तर्क को स्वीकार करते हुए वादपत्र वापिस कर

दिया । यहाँ याचिकाकर्ता जो वाद में प्रतिवादी थे, ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण याचिका दायर करके दीवानी न्यायालय के उक्त आदेश को चुनौती दी । उक्त पुनरीक्षण याचिका भी आक्षेपित आदेश के द्वारा खारिज की गयी है । इस प्रकार वर्तमान कार्यवाही उच्च न्यायालय के आदेशों की वैधता पर सवाल उठाती है ।

3. जिन तथ्यों को लेकर विवाद है उनके लिये बडे प्रचार-प्रसार की आवश्यकता नहीं है उन्हें यह नीचे दोहराया गया है :

विवादित सम्पत्ति जो मुकदमेबाजी का विषय है, राजस्थान राज्य के नागौर शहर में स्थित है जो याचिकाकर्ताआेंं के कब्जे में है प्रत्यर्थी सँख्या 1 राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड है और प्रत्यर्थी सँख्या 2 मुस्लिम बोर्ड कमेटी है । दोनों ही प्रत्यर्थी ने दावा किया है कि वाद की विषय सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति है । इन प्रत्यर्थीगण ने वर्ष 1980 में उक्त सम्पत्ति के कब्जे के साथ-साथ खातों के प्रस्तुतिकरण हेतु याचिकाकर्ताआेंं के विरूद्ध वक्फ सम्पत्ति बताते हुए दावा प्रस्तुत किया है । मुकदमा दायर करने के बाद यह पता चलने पर कि एक ट्रस्टी श्री नैयमुदीन पुत्र अब्दुल ने याचिकाकर्ताआेंं को दिनाँक 28.02.1983 को विक्रय-विलेख के माध्यम से सम्पत्ति बेच दी थी, प्रत्यर्थी सँख्या 1 व 2 ने वाद में विक्रय-

विलेख दिनाँक 28.02.1983 अवैध होने की घोषणा के अनुतोष बाबत् संशोधन किया ।

4. याचिकाकर्ता ने जवाब दाखिल किया और कई बचाव लेते हुए वाद का विरोध किया । विचारण न्यायालय यानि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने दिनाँक 4.08.1984 को निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये :

(i) क्या हवेली और परिसर की भूमि जिसमें नीचे की भूमि शामिल है जिसका माप वादपत्र की चरण सँख्या 3 में दिया गया है, वक्फ सम्पत्ति है ?

(ii) क्या हवेली और परिसर की भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादी सँख्या 1 द्वारा प्रतिवादी सँख्या 3 के पक्ष में दिनाँक 22.06.1960 को जो विक्रय-विलेख 400 रूपये प्रतिफल के लिये निष्पादित किया गया है, अवैध है क्योंकि यह सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति है ?

(iii) क्या प्रतिवादी सँख्या 4 और 5 के पक्ष में हवेली और परिसर की भूमि के सम्बन्ध में जो विक्रय-पत्र है वह अवैध है क्योंकि यह सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति है ?

(iv) क्या प्रतिवादी नईमुदीन द्वारा प्रतिवादी सँख्या 5 के पक्ष में दिनाँक 28.02.1983 को निष्पादित विक्रय-विलेख अवैध है ?

(v) क्या वादी वाद दायर करने का हकदार है ?

(vi) क्या वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है ?

(vii) क्या न्यायालय शुल्क अपर्याप्त है ?

(viii) अनुतोष ?

5. इसके बाद वाद की सुनवाई हुई, सभी पक्षों ने अपनी साक्ष्य पेश की । हालाँकि इसमें काफी समय लगा । जब मामला अन्तिम सुनवाई के लिये दिनाँक 02.12.2000 को तैयार था, तब प्रत्यर्थी सँख्या 1 और 2 ने अधिनियम की धारा 85 के तहत आवेदन दायर किया कि विचाराधीन वाद की सुनवाई का दीवानी न्यायालय को विचारण का क्षेत्राधिकार नहीं है । दीवानी न्यायालय के विचारण पर रोक लगा दी गई है । प्रार्थना की गयी कि उनके द्वारा दायर वादपत्र को अधिनियम के तहत गठित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये वापिस किया जावे, जिसके पास एकमात्र सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र था ।

6. उनके आवेदन को विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने आदेश दिनाँक 04.01.2001 के तहत स्वीकार किया जिसमें कहा गया था कि यह प्रश्न कि क्या सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति थी या नहीं केवल अधिकरण द्वारा ही तय किया जा सकता है और अधिनियम की धारा 85 विशेष रूप से दीवानी

न्यायालय के क्षेत्राधिकार को रोकती है । दीवानी न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के आदेश की वैधता को चुनौती देने के लिये याचिकाकर्ताआेंं ने द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका में उच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की है जिसमें कहा गया है कि इस सम्बन्ध में कानून की स्थिति सैयद इनामुल हक शाह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एआई आर 2001 राजस्थान 19 में राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले से तय हुई थी । उपरोक्त आदेश में उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त को सन्दर्भित करते हुए दो छोटे पैराग्राफ में पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई है।

7. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने सबसे पहले हमारा ध्यान इस न्यायालय के फैसले की ओर आकर्षित किया जिसके तहत उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले को अपास्त कर दिया गया है । इस न्यायालय के निर्णय 2007 (10) एससीसी 727 अनवान सरदार खान और अन्य बनाम सैयद नजमुल हसन (सेठ) और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया गया है । इस प्रकार चूंकि इस न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय को पलटने के मद्देनजर निर्णय की नींव ही ध्वस्त हो गई है, इसलिए उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने की आवश्यकता है ।

8. इस समय तक अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन सही, जैसा कि उपर बताया गया कि बिना किसी चर्चा के सैयद इनामुल हक

(सुप्रा) के अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया है और पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है इसलिए विवादित आदेश को रद्द करते हुए हम पुनरीक्षण याचिका पर नये सिरे से निर्णय लेने के लिये मामले को उच्च न्यायालय में वापिस भेज सकते थे हालाँकि दोनों पक्षों के विद्वान वकील ने सुझाव दिया कि क्षेत्राधिकार का प्रश्न इस न्यायालय द्वारा तय किया जाना चाहिये ताकि यह पहले अन्तिम रूप से तय हो सके खासकर जब मामला काफी समय से लम्बित हो । दोनों पक्षों की इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए हमने उपरोक्त प्रश्न पर विस्तार से सुनवाई की । अब हम क्षेत्राधिकार के इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रस्ताव करते हैं जैसा कि शुरूआत में बताया गया था ।

9. हमने पहले ही यहाँ बता दिया है कि वाद की विषय-वस्तु को प्रत्यर्थी सँख्या 1 व 2 द्वारा दायर किया गया है जो इस दलील पर आधारित है कि मुकदमा सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति है । इस आधार पर वाद में यह दलील दी गई है कि याचिकाकर्ताआेंं के पक्ष में विक्रय-विलेख अमान्य है क्योंकि श्री नईमुदीन ने कथित तौर पर याचिकाकर्ता के पक्ष में दिनाँक 22.09.1983 को विक्रय-विलेख निष्पादित किया था, के पास एेसा करने का कोई अधिकार नहीं था परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी सँख्या 1 और 2 का यह कहना कि याचिकाकर्ताआेंं का सम्पत्ति पर अनधिकृत कब्जा है ।

उक्त सम्पत्ति पर कब्जा और हिसाब-किताब का प्रस्तुतिकरण मुकदमे में अन्य राहत के दावे हैं।

10. राजस्थान वक्फ अधिनियम 1995 उक्त राज्य में वक्फ सम्पत्ति को नियंत्रित करता है । अधिकरण का गठन इस अधिनियम के तहत किया गया है और इससे अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 7 के तहत वक्फ के सम्बन्ध में वाद का निर्धारण करने का अधिकार है इसलिए, हम यहाँ उक्त अधिनियम की धारा 7 को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे।

धारा 7- वक्फ से सम्बन्धित विवाद के निर्धारण के सम्बन्ध में अधिकरण की शक्ति -

(1) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद कोई प्रश्न उठता है कि क्या वक्फ की सूची में वक्फ सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट विशेष सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति है या नहीं या कोई वक्फ है एेसी सूची में निर्दिष्ट एक सिया वक्फ या सुन्नी वक्फ है, बोर्ड या वक्फ का मुतवल्ली, या उसमें रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, प्रश्न के निर्णय के लिये सम्पत्ति के सम्बन्ध में अधिकार क्षेत्र रखने के लिये अधिकरण में आवेदन कर सकता है और उस पर अधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

परन्तुक-

(क) राज्य के किसी भाग से सम्बन्धित और उस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् प्रकाशित वक्फ की सूची की दशा में, कोई ऐसे आवेदन वक्फ की सूची के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जायेगा, और

(ख) राज्य के किसी भाग से सम्बन्धित और इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पहले एक वर्ष की अवधि के भीतर ग्रहण किया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि जहाँ ऐसे किसी प्रश्न कि, ऐसे प्रारम्भ के पूर्व सस्थित किसी वाद में किसी सिविल न्यायालय द्वारा सुनवाई कर ली गई है और उन्हें अन्तिम रूप से विनिश्चय कर दिया है, वहाॅं अधिकरण ऐसे प्रश्न पर नये सिरे से विचार नहीं करेगा ।

(2) इस धारा के अधीन किसी वक्फ के बाबत् किसी कार्यवाही की उस दिशा के सिवाय जिसमें अधिनियम की धारा 5 के उपबन्धों के कारण कोई अधिकारिता नहीं है, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा केवल इस कारण रोका नहीं जायेगा कि किसी ऐसे वाद, आवेदन, अपील या अन्य कार्यवाही से उदभूत कोई वाद, आवेदन या अपील या अन्य कार्यवाही लम्बित है।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, उपधारा 1 के अधीन किसी आवेदन का पक्षकार नहीं बनाया जायेगा ।

(4) वक्फ की सूची और जहाँ ऐसी किसी सूची में उपधारा 1 के अधीन अधिकरण के विनिश्चय के अनुसरण में परिवर्तन किया जाता है वहाँ इस प्रकार परिवर्तित सूची अन्तिम होगी ।

(5) अधिकरण को किसी एेसे विषय के अवधारण करने की अधिकारिता नहीं होगा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, धारा 6 कीउपधारा 1 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में संस्थित किसी वाद या प्रारम्भ की गयी किसी कार्यवाही की विषय-वस्तु है अथवा जो ऐसे प्रारम्भ के पूर्व किसी ऐसे वाद या कार्यवाही में पारित डिक्री को किसी अपील की अथवा, यथास्थिति, ऐसे वाद कार्यवाही या अपील से उदभूत होने वाले किसी प्रकाशन या अन्तर्विलोकन लिये किसी आवेदन की विषय-वस्तु है।

अधिनियम की धारा 85 ऐसे विवाद्यक पर निर्णय लेने की दिवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को वर्जित करती है । धारा 85 इस प्रकार है :

धारा 85 दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्जन- किसी वक्फ, वक्फ सम्पत्ति या अन्य मामले से सम्बन्धित किसी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के बाबत् जिसका इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिकरण द्वारा अवधारित किया जाना अपेक्षित है किसी दीवानी न्यायालय में कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

11. अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार, यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या वक्फ की सूची में वक्फ सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट कोई विशेष सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति है या नहीं तो यह न्यायाधिकरण है जिसके द्वारा यह प्रश्न निर्णित किया जायेगा और अधिकरण का निर्णय अन्तिम माना जाता है जब एेसा प्रश्न धारा 7(1) के अन्तर्गत आता है तो स्पष्ट रूप से धारा में निहित विशेष रोक के म़द्देनजर एेसे प्रश्न पर निर्णय के लिये दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है । धारा 85 की पालना में, यहाँ उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि धारा 7 की उपधारा 5 के अनुसार यदि कोई मुकदमा या कार्यवाही प्रश्नगत अधिनयम के प्रारम्भ होने से पहले ही दीवानी न्यायालय में लम्बित है तो दीवानी न्यायालय के समक्ष एेसी कार्यवाही जारी रहेगी और अधिकरण का क्षेत्राधिकार नहीं होगा ।

12. धारा 7 और धारा 85 संयुक्त रूप से पढने पर कानूनी स्थिति को निम्नानुसार संक्षेपित किया गया है:

(i) धारा 7 की उपधारा 1 में उल्लेखित प्रश्नों/विवादों के सम्बन्ध में विशेष क्षेत्राधिकार उस अधिकरण के पास निहित है जिसके पास एेसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार है।

(ii) उस पर अधिकरण का निर्णय अन्तिम माना जाता है ।

(iii) किसी भी वक्फ सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित है, जिसे इस अधिनियम के तहत एक अधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है,

(iv) हालाँकि धारा 7 की उपधारा 5 के तहत एक अपवाद बनाया गया है अर्थात वे मामले जो पहले से ही दीवानी न्यायालय के समक्ष लम्बित है, भले ही विषय-वस्तु धारा 6 की उपधारा के तहत कवर की गयी हो दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार बना रहेगा और अधिकरण के पास उन मामलों का निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा।

13. वर्तमान वाद वर्ष 1980 में संस्थित किया गया था अर्थात् राजस्थान वक्फ अधिनियम 1995 के अधिनियमित होने से बहुत पहले । इसलिए, यदि विषय-वस्तु धारा 6 की उपधारा 1 के अन्तर्गत आती है तो अधिनियम की धारा 5 के आधार पर दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार बना रहता है । हमें इसका उत्तर ढूंढने में सक्षम बनाने के लिये धारा 5 और 6 के प्रावधान भी प्रासंगिक हो जाते हैं और इस समय इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है । इससे पहले, हम अधिनियम के अध्याय II की योजना बताना चाहेंगे जिसमें धारा 7, अध्याय II धारा 4 सहित ये सभी धारायें शामिल हैं।

14. अधिनियम की धारा 4 के तहत, सर्वे आयुक्त को सर्वे करने और यह जानने के लिये शक्तियाँ दी गई हैं कि विशेष सम्पत्तियाँ वक्फ सम्पत्ति हैं या नहीं, जाँच करने के बाद सर्वे आयुक्त इसे अधिनियम की धारा 4(1) के तहत निर्दिष्ट कुछ मामलों के सम्बन्ध में दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत दीवानी न्यायालय की शक्ति दी गई है, राज्य सरकार को एक रिपोर्ट देता है । अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 3 के तहत एेसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य सरकार अधिनियम की धारा 5(1) के तहत इसकी एक प्रति वक्फ बोडर् को भेजेगा । वक्फ बोर्ड को इस रिपोर्ट का परीक्षण करने की आवश्यकता है । जैसा कि अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के तहत प्रावधान किया गया है और राज्य में सुन्नी वक्फ या सिया वक्फ की सूची आधिकारिक गजट में प्रकाशन करने की आवश्यकता है चाहे वे अधिनियम के लागू होने के समय या उसके बाद में अस्तित्व में आने पर । यदि अधिनियम की धारा 5 के तहत आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित वक्फ सूची के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो बोर्ड या वक्फ के मुतवल्ली या उसमें रूचि रखने वाले किसी व्यक्ति को अधिकरण में मुकदमा दायर करने का अधिकार दिया जाता है और यह प्रावधान अधिनियम की धारा 6 में है । अधिनियम की धारा 6 इस प्रकार है:

धारा 6-वक्फ के सम्बन्ध में विवाद :

(1) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या वक्फ की सूची में वक्फ सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट कोई विशेष सम्पत्ति कोई वक्फ सम्पत्ति है या नहीं और क्या ऐसी सूची में निर्दिष्ट वक्फ सिया वक्फ या सुन्नी वक्फ है, तो वक्फ का बोर्ड या मुतवल्ली या उसमें रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति प्रश्न के निर्धारण के लिये अधिकरण में वाद ला सकता है और ऐसे मामलों के सम्बन्ध में अधिकरण का निर्णय अन्तिम माना जायेगा, बशर्ते की वक्फ सूची के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद अधिकरण द्वारा ऐसे किसी मामले पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(2) उपधारा 1 में निहित किसी बात के होते हुए भी, किसी भी वक्फ के सम्बन्ध में इस अधिनयम के तहत कोई भी कार्यवाही केवल एेसे किसी मुकदमे के लम्बित होने या किसी अपील या किसी मुकदमे से उत्पन्न होने वाली अन्य कार्यवाहियों के कारण नहीं रोकी जायेगी ।

(3) सर्वे आयुक्त को उपधारा 1 के तहत किसी भी वाद में पक्षकार नहीं बनाया जायेगा और कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही उसके खिलाफ नहीं होगी जो उसके द्वारा सदभावना से या इस अधिनियम या इसके तहत बनाये गये किसी नियम के अनुसरण में की गई हो ।

(4) वक्फ सूची, जबतक कि इसे उपधारा 1 के तहत किसी निर्णय या अधिकरण के अनुसरण में संशोधित नहीं किया जाता है, अन्तिम व निर्णायक होगी ।

(5) किसी राज्य में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी भी प्रश्न के सम्बन्ध में उस राज्य के किसी न्यायालय में कोई वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही संस्थित या शुरू नहीं की जायेगी।

15. वाद की विषय-वस्तु जो अधिकरण के समक्ष दायर किया जा सकता है धारा 5 में प्रकाशित वक्फ की सूची से सम्बन्धित है यदि उक्त सूची के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है अर्थात् क्या उक्त सूची में निर्दिष्ट वक्फ सम्पत्ति है या नहीं या सिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ, इन सवालों पर फैसले के लिये वाद दायर किया जा सकता है । धारा 7 की उपधारा 5 उन मामलों के क्षेत्राधिकारी को बचाती है जिनकी विषय-वस्तु धारा 6 की उपधारा 1 के तहत आती है, जोउक्त मुकदमे के शुरू होने से पहले संस्थित किये गये थे । इस कानूनी प्रारूप को ध्यान में रखते हुए, जहाँ तक उत्पन्न हुए मुद्दे का उत्तर देना पडेगा।

16. इससे पहले कि हम विवाद से निपटे हम इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर चर्चा करना चाहेंगे जिनका इस मुद्दे पर असर हो सकता है ।

पहला मामला जिसका जिक्र जरूरी है वह है सरदार खान और अन्य बनाम सैयद नजमुल हसन (सेठ) व अन्य 2007(4) SCALE 81, 2007(10) SCC 727, इस मामले में वादी (उच्चतम न्यायालय में प्रत्यर्थीगण) द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जयपुर की अदालत में वर्ष 1976 में वाद दायर किया गया था जिसे खारिज कर दिया गया । वादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की कि अधिनियम की धारा 85 के आधार पर दीवानी न्यायालय इस मामले में कोई क्षेत्राधिकार रखने में विफल रही है और इसलिए विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय व डिक्री क्षेत्राधिकार के बिना थी । प्रत्यर्थीगण के तर्क को स्वीकार करते हुए यह अपील स्वीकार की गई । उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए अपीलकर्ताआें ने विशेष अनुमति याचिका दायर की थी जिसकी अनुमति दी गई थी और अपील की सुनवाई इस न्यायालय द्वारा की गई थी । न्यायालय ने अधिनियम की धारा 6,7 व 85 के प्रावधानों पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि उक्त अधिनियम उन लम्बित मामलों या कार्यवाहियों या अपील या रिवीजनों पर लागू नहीं होगा जो दिनाँक 1.01.1996 से पहले शुरू हुए थे । जैसा कि धारा 7 की उपधारा 5 में प्रावधान किया गया है और अपील को यह कहते हुए स्वीकार किया गया कि दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार जारी रहेगा वक्फ अधिनियम 1995 के लागू होने के पहले दायर मामलों के सम्बन्ध में ।

17. आन्ध्रप्रदेश वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधान जो प्रकृति में समान है, रमेश गोविन्दराम (मृत) के कायममुकाम बनाम सुगरा हुमायू निर्जा वक्फ 2010(8) SCC 726 के मामले को फिर से विचार में लिया गया और निर्धारण के लिये जो प्रश्न रखा गया वह था:

> "क्या अधिनियम 1995 की धारा 83 के तहत गठित वक्फ अधिकरण उन अपीलकर्ताओं को बेदखल करने से सम्बन्धित विवादों पर विचार करने व निर्णय देने में सक्षम था, जो स्वीकार्य रूप से वक्फ सम्पत्तियों की वक्फ वस्तुओं पर कब्जा कर रही है ?"

18. बेदखली के लिये वाद वक्फ अधिकरण के समक्ष दायर किये गये थे जिसमें माना था कि उसके पास उन मुकदमों को विचारण कर और वक्फ द्वारा दायर वाद को डिक्री कर फैसला सुनाया था- सुगरा हुमायू मिर्जा वक्फ । किरायेदारों/अपीलकर्ता ने उस आदेश के खिलाफ आन्धप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की, जिस पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और इसके क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में वक्फ अधिकरण के दृष्टिकोण की पुष्टि की। उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपीलकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने देखा कि कुछ निर्णयों में आन्धप्रदेश के उच्च न्यायालय ने यह विचार किया था

कि वक्फ अधिनियम की धारा 83 के तहत स्थापित अधिकरण सभी प्रकार के विवादों पर विचार करने और निर्णय लेने में सक्षम है जब तक कि वे किसी वक्फ सम्पत्ति से सम्बन्धित हो । इसी तरह का विचार राजस्थान, मध्यप्रदेश, केरल उच्च न्यायालय के साथ-साथ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी व्यक्त किया । हालाँकि कर्नटक, मद्रास, इलाहाबाद और बाॅम्बे के उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों में एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया था । इस न्यायालय ने अधिनियम के प्रावधानों का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण की पुष्टि की और माना कि आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय आदि का निर्णय कानून की दृष्टि से गलत था। यह स्पष्ट रूपह से नोट किया गया था कि अधिनियम की धारा 83 के तहत स्थापित अधिकरण के पास केवल उन मामलों को निपटाने के लिये सीमित क्षेत्राधिकार था जो अधिनियम की धारा 5, धारा 6(5), धारा 7 व धारा 85 में प्रदान किये गये थे और क्षेत्राधिकार इन धाराआेंं के अन्तर्गत नहीं आने वाले मामलों को निटपाने के लिये दीवानी न्यायालयों को अन्य मामलों के सम्बन्ध में बाहर नहीं किया गया था । न्यायालय ने अधिनियम के क्षेत्राधिकार का दायरा निर्धारित करने के लिये अधिनियम की धारा 6 और 7 के प्रावधानों पर विस्तृत रूप से विचार किया जिसमें कहा गया है कि धारा 6(सुप्रा) की उपधारा 5 को पढने से पता चलेगा कि

किसी भी वाद या अन्य कार्यवाही पर विचार करने का दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी भी प्रश्न के सम्बन्ध में विशेष रूप से बाहर रखा गया है । यह बहिष्करण प्रयुक्त भाषा से स्पष्ट है, पूर्ण या सर्वव्यापी नहीं है । यह प्रश्नों के निर्णय तक सीमित है।

(A) क्या वक्फ की सूची में वक्फ सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट कोई विशेष सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति है या नहीं और

(B) क्या ऐसी सूची निर्दिष्ट शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ है ।

अधिनियम की धारा 6 व 7 के प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढने से यह भी व्यक्त किया गया, यह स्पष्ट है कि कोई सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति है या नहीं या वक्फ शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ है यह निर्धारित करने का क्षेत्राधिकार पूरी तरह से अधिकरण के पास है और कोई वाद या अन्य कार्यवाही दीवानी न्यायालय में अधिकरण के प्रारम्भ होने के बाद एसे किसी प्रश्न के सम्बन्ध में संस्थित नहीं की जा सकती। उल्लेखनीय बात यह है कि अधिनियम की धारा 7 के साथ सपठित धारा 6 के तहत दीवानी न्यायालय में मुकदमा दायर करना केवल उन प्रश्नों के सम्बन्ध में वर्जित है जो उसमें विशेष रूप से उल्लेखित हैं । वक्फ सम्पत्ति के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले अन्य प्रश्नों का विस्तार करने के लिये पूर्ण निषेध नहीं है । इसमें आगे कहा गया है कि अधिनियम की धारा 85 के तहत दीवानी

न्यायालय के क्षेत्राधिकार को जिन मामलों से बाहर रखा गया है जहाँ विवाद में मामला अधिनियम के तहत अधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है । शब्द जो इस अधिनियम के तहत या इसके तहत अधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है इस सवाल की कुंजी है क्या वक्फ या वक्फ सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी विवादों को दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है या नहीं । इस प्रकार न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि बेदखली के मामलों में सुनवाई के लिये केवल दीवानी अदालतों के क्षेत्राधिकार को बाहर नहीं रखा गया है । बल्कि, अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों में वक्फ अधिनियम के क्षेत्राधिकार में आने वाले एेसे विवादों को शामिल नहीं किया गया था और इसलिए वक्फ अधिनियम के पास पुनर्विलोकन के मामलों को निपटाने का क्षेत्राधिकार नहीं था । उक्त निर्णय में तय किये गये मुद्दे कि बेहतर सराहना हम यहाँ प्रासंगिक चर्चा को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं:

31.उपरोक्त धारा 83 की उपधारा 1 से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार को वक्फ या वक्फ सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण के लिये इतने अधिक अधिकरण स्थापित करने का अधिकार है जितना वह ठीक समझे और अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाआेंं को परिभाषित करें । धारा 83 की उपधारा 2 किसी भी मुतवल्ली या वक्फ में रूचि रखने वाले अन्य व्यक्ति या अधिनियम या

उसके तहत बनाये गये नियमों के तहत दिये गये आदेश से पीडित किसी भी व्यक्ति को किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामलों के निर्धारण के लिये अधिकरण से सम्पर्क करने की अनुमति देता है । वक्फ से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकरण से तभी सम्पर्क किया जा सकता है जब एेसा करने वाला व्यक्ति मुतवल्ली हो या वक्फ में रूचि रखने वाला व्यक्ति हो या अधिनियम या नियमों के तहत दिये गये आदेशों से व्यथित हो । धारा 83 के शेष प्रावधान उस प्रक्रिया को प्रावधान करते हैं जिसका अधिकरण पालन करेगा और जिस तरीके से अधिकरण के निर्णय को क्रियान्वित किया जायेगा । हालाँकि एेसे किसी भी आदेश के खिफलाफ कोई भी अपील सुनवाई योग्य नहीं है, यद्यपि उच्च न्यायालय रेकर्ड माँग सकता है और अधिकरण द्वारा दिये गये किसी भी निर्धारण की शुद्धता या वैधता या आैचित्य के सम्बन्ध में निर्णय ले सकता है।

32. हमारे विचार में धारा 83 में एेसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि यह सिविल अदालतों के क्षेत्राधिकार के बहिष्कार को बढावा देती है । सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार इससे भी आगे तक फैला हुआ है । अधिनियम की धारा 6(5) , धारा 7 व धारा 85 में क्या प्रावधान किया गया है यह बस सशक्त बनाता है । यह सरकार को किसी भी विवाद या वक्फ या वक्फ सम्पत्ति से सम्बन्धित अन्य मामले के प्रश्न के निर्धरण के लिये एक अधिकरण या अधिकरण गठित करने का अधिकार देता है

जिसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि दीवानी अदालतों का क्षेत्राधिकार एेसी स्थापना के कारणों से पूरी तरह से बाहर हो गया है।

33. इसी प्रकार यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 83(1) में किसी वक्फ के या वक्फ सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी विवाद, प्रश्न या उसके मामले के निर्धारण के लिये अभिव्यक्ति है और अधिनियम की धारा 85 में भी दिखाई देता है । हालाँकि धारा 85 किसी या प्रत्येक प्रश्न या विवाद के सम्बन्ध में दीवानी अदालतों के क्षेत्राधिकार को केवल इसलिए बाहर नहीं करता है क्योंकि यह वक्फ या वक्फ सम्पत्ति से सम्बन्धित है । धारा 85 के प्रावधान हैं कि दीवानी अदालत का क्षेत्राधिकार केवल एेसे मामलों के सम्बन्ध में बाहर रखा जायेगा जो इस अधिनियम के तहत या अधिकरण द्वारा निर्धारित किये जाने के लिये आवश्यक हैं।

34. यह महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका प्रत्येक मामले में उत्तर देना होगा जहाँ दीवानी अदालतों का क्षेत्राधिकार बाहर होने का अभिवचन उठाया जाता है, चाहे अधिकरण के तहत या किसी मामले को निपटाने के लिये आवश्यक नियमों के तहत जिसे पहले लाया जाना है अगर यह नहीं है तो दीवानी अदालतों का क्षेत्राधिकार बाहर नहीं है लेकिन यदि अधिकरण के लिये उस मामले को निर्णय करने की आवश्यकता है तो वहाँ दीवानी अदालातें का क्षेत्राधिकार बाहर हो जायेगा।

35. मौजूदा मामलों में अधिनियम वक्फ सम्पत्ति पर कब्जे वाले किरायेदारों की बेदखली या सम्पत्ति के पट्टेदार और पट्टेदारों के अधिकारों व दायित्वों के विवादों के निपटारे के लिये अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही का प्रावधान नहीं करता है । इसलिए वक्फ सम्पत्ति से किरायेदारों को बेदखल करने का मुकदमा करने वाला वाद केवल दीवानी अदालत के समक्ष ही दायर किया जा सकता है अधिकरण के समक्ष नहीं।

19. निर्णय के उस भाग का उल्लेख करना लाभदायक होगा जहाँ न्यायालय ने मार्गदर्शन दिया और एेसे मामलों को निपटाने के लिये विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता बताई । इस सम्बन्ध में न्यायालय ने निम्नानुसार तौर-तरीके निर्देिष्ट किये:

"11. पहले कि हम इस मुख्य मुद्दे पर विचार करें कि क्या वक्फ सम्पत्ति से सम्बन्धित विवादों पर विचार करने और निर्णय लेने का सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार वक्फ अधिनियम के तहत बाहर रखा गया है, हम संक्षेप में उस दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं जिससे अदालतों को एेसे प्रश्नों को हल करते समय जाना होगा।

12. इस सम्बन्ध में सुस्थापित नियम यह है कि दीवानी अदालतों को उन मनोरंजनों को छोडकर जिनमें स्पष्ट रूप से और परोक्ष रूप से वर्जन है, दीवानी प्रकृति के सभी मुकदमों की सुनवाई का अधिकार है ।

दीवानी प्रकृति के मुकदमों की सुनवाई के लिये दीवानी अदालतों का क्षेत्राधिकार बहुत विस्तृत है । कोई भी काूनन जो इस तरह के क्षेत्राधिकार को बाहर करता है इसलिए सामान्य नियम अपवाद है कि सभी विवादों की सुनवाई दीवानी अदालत द्वारा की जायेगी, एेसे किसी भी विवाद को दीवानी न्यायालय के द्वारा तुरन्त अनुमान नहीं लगाया जा सकता । अदालत एक एेसे निर्माण के पक्ष में झुकेगी जो दीवानी अदालतों के क्षेत्राधिकार को बरकरार रखे और सबूत का दबाव उस पक्ष पर करेगी जो दावा करता है कि दीवानी अदालत के क्षेत्राधिकार को बाहर कर दिया गया है।

13. ऐसे मामलों में जहाँ कानून अधिनियम द्वारा पारित आदेशों को अन्तिम रूप देता है, अदालत को यह देखना होगा कि क्या अधिकरण के पास राहत देने की शक्ति है जो दीवानी अदालत आम तौर पर उनके सामने दायर मुकदमों में देती है । अगर उत्तर नकारात्मक है, तो दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बहिष्कार का आम तौर पर अनुमान नहीं लगाया जायेगा । राजस्थान एस आर टी सी बनाम बालमुकुन्द बैरवा के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह अवलोकन किया:-

"एक धारणा है कि दीवानी न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार है । दीवानी अदालत के क्षेत्राधिकार को हटाने का तुरन्त अनुमान नहीं लाया जा

सकता है । प्रतिवाद याचिका लाने के लिये व्यक्ति को इसे स्थापित करना होगा यहाँ तक कि ऐसे मामलों में जहाँ किसी कानून के तहत दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को प्रतिबद्ध करने की माँग की जाती है । दीवानी अदालत कुछ मामलों के सम्बन्ध में अपने क्षेत्राधिकार को प्रकट कर सकती है खासकर जब वैधानिक प्राधिकरण या अधिकरण क्षेत्राधिकार के बिना कार्य करता है।

20. इस अधिनियम का एक अन्य पहलू वक्फ बोर्ड पश्चिम बंगाल और अन्य बनाम अनीस फातमा बेगम और अन्य 2010(14) SCC 588 के मामले में विचार के लिये आया । उस मामले में विवाद की विषय-वस्तु वक्फ सम्पत्ति में दो विशिष्ट भागों में सीमांकन से सम्बन्धित था । एक वक्फ-अल-अल-आैलाद के लिये और शेष भाग पवित्र और धार्मिक उद्देश्य के लिये । सीमांकन को इस आधार पर चुनौती दी गयी थी कि यह वक्फ डीड के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था । न्यायालय ने माना कि यह अधिनयम की धारा 83 के तहत गठित अधिकरण जिसके पास इन सवालों से निपटने के लिये विशेष क्षेत्राधिकार होगा क्योंकि यह प्रश्न वक्फ सम्पत्ति से सम्बन्धित विवादों के निर्धारित से सम्बन्धित हैं और दीवानी के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर दिया गया है।

21. रमेश गोबिन्दराम (सुप्रा) में अनुपात के अनुसार केवल उन विवादों को तय करने का विशेष क्षेत्राधिकार अधिकरण के पास है जो धारा 6 और धारा 7 के सन्दर्भित है । इसके अलावा दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल एेसे मामलों के सम्बन्ध में वर्जित है और जो अधिनियम की धारा 6 और धारा 7 के अन्तर्गत नहीं आते हैं । इसके अलावा सरदार खान के मामले में फैसले के मद्देनजर जो मुकदमा वक्फ अधिनियम 1995 के लागू होने से पहले ही लम्बित है वे दीवानी न्यायालय में ही रहेेंगे और जिनका क्षेत्राधिकार जारी रहेगा।

22. उपरोक्त सिद्धान्तों के आधार पर हम वर्तमान मामले में विचार करने के लिये आगे बढते हैं । दिलचस्प बात यह है कि स्वयं प्रत्यर्थीगण के अनुसार इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि विचाराधीन सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति है । प्रत्यर्थीगण के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय में पहले भी अपीलकर्ता ने स्वीकार किया था कि विवादित सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति है (हालांकि तय किये गये विवाद्यक अन्यथा सुझाव देते हैं) । वादपत्र वापस करने के लिये प्रत्यर्थी के आवेदन पर निर्णय करते समय विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पैरा 3 में भी यह दर्ज किया गया है।

23. यह वाद विक्रय-विलेख के रद्दकरण, किराया और कब्जे के साथ-साथ खातों का प्रस्तुतिकरण और ट्रस्टियों को हटाने के लिये है । हालाँकि मुकदमे में दलीलें हमारे सामने दायर नहीं की गई हैं और इसलिए दावा की गई राहत की सटीक प्रकृति के साथ-साथ वाद व जवाबदावे में किये गये दावे हमें ज्ञात नहीं है । हम यह टिप्पणियाँ इस कारण से कर रहे हैं क्योंकि मुकदमे में दावे के कुछ अनुतोष अधिकरण के विशेष क्षेत्राधिकार में आती प्रतीत होती है जबकि अन्य अनुतोष के लिये दीवानी मुकदमा सक्षम होगा । रमेश गोबिन्दराम (सुप्रा) के अनुपात के अनुसार कब्जे और किराये के मुकदमे की सुनवाई दीवानी अदालत द्वारा की जानी है । हालाँकि ट्रस्टियों को हटाने और खातों के प्रस्तुतिकरण से सम्बन्ध वाद अधिकरण के क्षेत्राधिकार में आयेगा । जहाँ तक विक्रय-विलेख के रद्द करने की राहत का सवाल है तो इस आधार पर सिविल न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना चाहिये क्योंकि यह अधिनियम की धारा 6 व 7 के अन्तर्गत नहीं आता है, जिसके तहत इस तरह के मुकदमे पर निर्णय लेने के लिए अधिकरण को कोई क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है । इसके अलावा कब्जे की राहत जो दीवानी अदालत द्वारा दी जा सकती है इस बात पर निर्भर करता है कि विक्रय-विलेख वैध है या नहीं । इस प्रकार विक्रय-विलेख और कब्जे का मुद्दा और एक-दूसरे के साथ अविभाज्य रूप से मिश्रित हो गया है । हमने कानूनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये यह टिप्पणियाँ की हैं । जहाँ

तक वर्तमान मामले का सवाल है, चूंकि मुकदमा अधिनियम के लागू होने से बहुत पहले दायर किया गया था, सरदार खान मामले में निर्धारित आदेश के अनुसार यह दीवानी अदालत है जहाँ वाद दायर किया गया था उस पर क्षेत्राधिकार बना रहेगा और दीवानी अदालत इस बिन्दु पर निर्णय लेने में सक्षम होगा।

24. इस प्रकार हम अपील स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को अपास्त करते हैं और इसके द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 10 के प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन को खारिज किया जाता है । दीवानी अदालत को वाद का फैसला करने का निर्देश दिया जाता है।

25. कोई लागत नहीं है ।

आर.पी.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजकुमार चौहान (RJS) अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पिण्डवाडा द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।